

तेलंगाना में वशेषाधिकार प्राप्त समूहों के भूमिआवंटन को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द किया जाना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने तेलंगाना सरकार द्वारा **संसद सदस्यों (MP)**, **वधिन सभा सदस्यों (MLA)**, सविलि सेवकों और पत्रकारों वाली सहकारी समितियों को भूमिआवंटन को **संवधान के अनुच्छेद 14** के तहत **समानता का उल्लंघन मानते हुए रद्द** कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने **रियायती दरों** पर वशेषाधिकार प्राप्त समूहों को भूमिआवंटन की आलोचना की, जिसमें **हाशिये पर पड़े समुदायों** की अपेक्षा पहले से ही वशेषाधिकार प्राप्त लोगों को तरज़ीह दी गई।
 - न्यायालय ने चेतावनी दी कि दुर्लभ भूमि संसाधनों के इस तरह के आवंटन से **असमानता** पैदा होती है और **घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों** में इसके व्यापक आर्थिक नहितार्थ होते हैं।
- नरिणय में इस नीति को **सत्ता का दुरुपयोग** बताया गया, जिससे नीति निर्माताओं और उनके साथियों को लाभ मलि रहा है, जबकि **"योग्य वर्गों"** की सहायता के नाम पर **सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग** किया जा रहा है।
 - **सत्ता का दुरुपयोग** किसी **वधायी नक़ाय** द्वारा की गई ऐसी कार्यवाहियों को संदर्भित करता है जो उनके अधिकार क्षेत्र में प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में **संवैधानिक सीमाओं** या सदिधांतों का उल्लंघन करती हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को याद दलियाया कि **राज्य नागरिकों के लिये ट्रस्ट के रूप में संसाधन रखता है** तथा उसके कार्यों का उद्देश्य चुनदि समूहों को लाभ पहुँचाने के बजाय **जनहति में** होना चाहिये।

और पढ़ें: **मौलिक अधिकार (भाग- 1)**